

13


प्रतिलिपि के लिए आवेदक की तारीख	स्टाम्प और कोतियों की अपेक्षित संख्या तृप्ति करने की निश्चित तारीख	तारीख जबकी देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी	आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख
Date of Application for the copy	Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios	Date on which the copy was ready for delivery	Date of making over the copy to the applicant
4/9/20	4/9/20	7/9/20	7/7/20

FOLIO NOT AVAILABLE

रजिस्ट्री प्रतिलिपि अतिरिक्त प्रकाशित खतियान के खेसरा संख्या 1077-5
 खतियान नं० 270
 गाँव थाना मोहन्ला पट्टी परगना चण्ड सं० 9 जयशंकरपुर अधिराजी क्षेत्र, जिला पूर्वी सिंहभूम।

खतियान की क्रम सं०	अभिधारी का नाम पिता का नाम जाति और निवास	खेत		भूमि का स्वरूप	रकबा है० आर० सं०	अभ्युक्ति	स्वत्वाधारी का नाम और उसकी खेत संख्या मध्यवर्ती भू स्वामी का नाम और उसकी खेत संख्या यदि हो		1) अधिदारी रयत कर हेतियत और कब्जे की अवधि। 2) लगान किस प्रकार नियत किया गया, आरंही (प्रोग्रेसिव हो तो विशिष्टियाँ) 3) कोई विशेष शर्त और अनुबंध बात यदि हो।
		खेसरा संख्या	बाँहटी				शेर नगदी लगान वाले हरेक प्लाट के सामने बताए कि उस पर कब्जा कैसे है	राजस्व पदाधिकारी द्वारा अभिनिश्चित लगान। 1 लगान 2 सेस	
270	नीलमोहन चौधरी पिता गौसद दास चौधरी	1077 1099 1100		मोदीआइ- मोदीआइ- दोन एक	0.10.30 0.05.40 0.42.10				
		1522	र.पंचवीवाला चौधरी	दोन दो	0.36.80				
		1529	र.गोलकु विहार चौधरी	दोन दो	0.12.50				
		1534	र.प्राणवल्लभ चौधरी	दोन दो	0.15.20				
		1536	र.निमईचंद्र चौधरी	दोन एक	0.42.70				

Govinda Serr



आवेदक की तारीख	का अपेक्षित संख्या प्राप्त करने की निश्चित तारीख	देने की तारीख	प्रास्ताप तयार गा	दन का ताराख
Date of Application for the copy	Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios	Date of delivery of the requisite stamp & folios	Date on which the copy was ready for delivery	Date of mading over the copy to the applicant

FOLIO NOT AVAILABLE

रखी प्रतिलिपि अंतिम प्रकाशित खतियान के खेसरा संख्या

खत नं० 270/... कार्ड सं० 9/... जमशेदपुर अधिसूची क्षेत्र, जिला पूर्वी सिंहभूम।

खतियान की क्रम सं०	अभिधारी का नाम पिता का नाम जाति और निवास	खेत		भूनी या स्वरूप	रकबा हे० आर० सं०	अभ्युक्ति	स्वत्वाधारी का नाम और उसकी खेद संख्या मध्यवर्ती यू-स्वामी का नाम और उसका खेद संख्या यदि हो		(1) अधिवोगी रयत कर हैसियत और कब्जे की अवधि। (2) लगान किस प्रकार निदत किया गया, जारोहे (प्रोप्रेसिब हो तो विगिहिया) (3) कोई विशेष शर्त और अनुबंध बात यदि हो।	
		खेसरा संख्या	चौहदी				गैर नगदी लगान वाले हरेक प्लाट के सामने बताए कि उन पर कब्जा कैसे है	राजस्व पदाधिकारी द्वारा अभिनिश्चित लगान। 1 लगान 2 सेस		बन्दोबस्त उचित लगान यदि हो 1 लगान 2 सेस
270/	नील मोहन चौधरी	1537	-2-	मौदीआइ	0.03.50				नोट	
		1538		प्र. प्राणवल्लभ गोडा दो	0.23.60				एच. एन. टी. एकट धारा-85(2) के मुकदमा नं० 273 सन-1998-99 के आदेशानुसार-735 रु 15 पैसे (सात सौ पैंतीस रुपये पन्द्रह पैसे) अलावा सेस लगान निर्धारित हुआ। निर्धारित लगान सन-1998-99 से वसूल होगा। राजस्व पदाधिकारी	
		1539		प्र. गोलकु विहारी दोन दो	0.09.70					
		1547		प्र. गोलकु विहारी दोन दो	0.05.40					
		1548		प्र. प्राणवल्लभ गोडा दो	0.04.00					
		1549		प्र. गोलकु विहारी दोन दो	0.09.60					
		13			2.11.80					काबिल लगान

प्रतिलिपि
5.9.20.

तुलना किया
5/9/20

Certified to be True Copy
10/12/20
Head Clerk to the Settlement Office
is authorised U/s 7b of the
Indian Evidence Act, 1877

10/12/20
18/11/2020

Susita De vi